न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–80/16 (आरसीएमएस नं. 2016/00201)

1. लालचन्द पुत्र श्री गीगराज जाति कुम्हार, उम्र 41 वर्ष, निवासी वार्ड नम्बर 2 पंचायत समिति के पास, सूरजगढ, तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान जरिये मुख्त्यारखास श्रीमती सुशीलादेवी पत्नी लालचन्द जाति कुम्हार निवासी वार्ड संख्या 2, पंचायत समिति के पास सूरजगढ तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू, राजस्थान।

——अपीलान्ट

बनाम

1. बनवारी लाल पुत्र श्री सूरजाराम, जाति कुम्हार निवासी वार्ड संख्या 2 सूरजगढ तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू, राजस्थान। **(मृतक जरिये)**
   1/1. सीताराम पुत्र स्व. बनवारी उम्र 47 वर्ष,
   1/2. नन्दकिशोर पुत्र स्व. बनवारी लाल उम्र 41 वर्ष,
   1/3. शीशराम पुत्र स्व. बनवारी लाल उम्र 35 वर्ष,
   1/4. भगली देवी बेवा स्व. बनवारी लाल उम्र 72 वर्ष, समस्त जाति कुम्हार निवासी वार्ड नम्बर 2, सूरजगढ, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनू राजस्थान।
   1/5. फूली देवी पुत्र स्व. बनवारी लाल पत्नी ओमप्रकाश उम्र 49 वर्ष, जाति कुम्हार निवासी गोखीरामजी के कुऐ के पास, वार्ड नम्बर 8, मण्डी गेट, छोटा बस स्टेण्ड रोड़, तहसील नवलगढ, जिला झुन्झुनू, राजस्थान।
   1/6. मन्जू पुत्री स्व. बनवारी लाल पत्नी ईश्वर उम्र 38 वर्ष, जाति कुम्हार निवासी पावर हाउस के पास बिचला हिन्दुआ तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू, राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू, राजस्थान।

——रेस्पोडन्ट्स

अपील सख्याः–84/16 (आरसीएमएस नं. 2016/00014)

1. लालचन्द पुत्र श्री गीगराज जाति कुम्हार, उम्र 41 वर्ष, निवासो वार्ड नम्बर 2 पंचायत समिति के पास, सूरजगढ, तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान जरिये मुख्त्यारखास श्रीमती सुशीलादेवी पत्नी लालचन्द जाति कुम्हार निवासी वार्ड संख्या 2, पंचायत समिति के पास सूरजगढ तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू, राजस्थान।

——अपीलान्ट

बनाम

1. बनवारी लाल पुत्र श्री सूरजाराम, जाति कुम्हार निवासी वार्ड संख्या 2 सूरजगढ तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू, राजस्थान। **(मृतक जरिये)**
   1/1. सीताराम पुत्र स्व. बनवारी उम्र 47 वर्ष,
   1/2. नन्दकिशोर पुत्र स्व. बनवारी लाल उम्र 41 वर्ष,
   1/3. शीशराम पुत्र स्व. बनवारी लाल उम्र 35 वर्ष,
   1/4 भगली देव बेवा स्व. बनवारी लाल उम्र 72 वर्ष, समस्त जाति कुम्हार निवासी वार्ड नम्बर 2, सूरजगढ, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनू राजस्थान।

P.T.O.

1/5. फूली देवी पुत्र स्व. बनवारी लाल पत्नी ओमप्रकाश उम्र 49 वर्ष, जाति कुम्हार निवासी गोखीरामजी के कुऐ के पास, वार्ड नम्बर 8, मण्डी गेट, छोटा बस स्टेण्ड रोड़, तहसील नवलगढ, जिला झुन्झुनू, राजस्थान।

1/6. मन्जू पुत्री स्व. बनवारी लाल पत्नी ईश्वर उम्र 38 वर्ष, जाति कुम्हार निवासी पावर हाउस के पास बिचला हिन्दुआ तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू, राजस्थान

2. मोहनलाल पुत्र गीगराज, उम्र 37 वर्ष, जाति कुम्हार निवासी वार्ड संख्या 2 सूरजगढ जिला झुन्झुनू, राजस्थान।

3. रामअवतार पुत्र हरिराम उम्र 27 वर्ष, जाति कुम्हार निवासी वार्ड संख्या 2 सूरजगढ जिला झुन्झुनू, राजस्थान।

4. ताराचन्द पुत्र श्री ओमप्रकाश उम्र 40 वर्ष, जाति कुम्हार निवासी वार्ड संख्या 2 सूरजगढ जिला झुन्झुनू, राजस्थान।

——रेस्पोडेन्ट्स

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू, राजस्थान।

——प्रोफार्मा रेस्पोडन्ट

निर्णय

दिनांकः 14.10.2019

अपीलार्थी द्वारा यह दोनों अपीलें न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ जिला झुन्झुनू के आदेश दिनांक 23.07.2015 प्रकरण संख्या 151/2015 एवं 03.08.2015 प्रकरण संख्या 1/2015 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये तथा बिना उसकी विधिवत तामील करवाये दिनांक 03.08.2015 को पक्षकारों की सहमति मानकर पत्थरगढी करने के अपीलाधीन आदेश दिनांक पारित कर दिया जो कानूननी प्रावधानों के विपरित होने से खारिज किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि अर्पालान्ट को सुनवाई हेतु कोई अवसर प्रदान नही किया गया क्योंकि अधिकत्तर समय अपीलान्ट को मजदूरी के सिलसिले में विदेश में रहता है, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट को पक्षकार जरूर बनाया है लेकिन उसे किसी भी प्रकार के कोई सम्मन प्रेषित नही किये गये, ना ही उसने कोई अधिवक्ता पैरवी हेतु नियुक्त किया, इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 03.08.2015 में यह अंकित करना कि पक्षकारों ने पत्थरगढी हेतु सहमति दी है इसलिये पत्थरगढ़ी के आदेश किये जावे, अधीनस्थ न्यायालय का उपरोक्त निर्णय कयास पर आधारित निर्णय है यदि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व पत्रावली का अवलोकन कर लिया जाता तो उनके द्वारा इस तरह का अविधिक आदेश प्रदान नही किया जा सकता था।

सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ के समक्ष जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत किया जो सम्पूर्ण तथ्य छिपाकर प्रस्तुत किया, रेस्पोडेन्ट बनवारी ने प्रार्थना पत्र में यह अंकित नही किया कि उसने उपखण्ड अधिकारी से गलत तरीके से दिनांक 23.07.2015 को गलत नाम के आधार पर नक्शे में संशोधन करवाया है अन्यथा अन्य रेस्पोडेन्ट द्वारा पत्थरगढ़ी हेतु कोई सहमति प्रदान ही नही की जाती इसलिये भी अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान नही दिया कि उनके द्वारा भूमि खसरा नम्बर 812 की पत्थरगढ़ी की जाती है तो इसकी गलत सीमाऐं जो अपीलान्ट की भूमि खसरा नम्बर 801 में सम्मिलित की गई है वो पूर्णतया विधि विरूद्ध थी तथा उसके आधार पर किसी भी तरह से पत्थरगढ़ी नही की जा सकती है, इसिलये भी अधीनस्थ न्यायालय का अपीलधीन निर्णय निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व में हल्का पटवारी व तहसीलदार की गलत रिपोर्ट के आधार पर नक्शे में तरमीम के आदेश किये थे जिसके अनुसार रेस्पोडेन्ट बनवारी की खातेदारी भूमि 2.45 हैक्टयर के स्थान पर 2.52 हैक्टयर हो जाती है जो जमाबन्दी में अंकित रकबे से 2.45 हैक्टयर से 0.07 हैक्टयर भूमि अधिक होती है, उक्त तरमीम व संशोधित नक्शें के आधार पर गलत रूप से अधीनस्थ न्यायालय ने पत्थरगढ़ी के अपीलाधीन आदेश पारित किये है जो निरस्तनीय है। अतः अपीलान्ट दोनों अपीले स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.07.2015 एवं 03.08.2015 को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खातेदारी काश्त की भूमि खसरा नम्बर नया 812 रकबा 2.45 हैक्टयर किस्म बारानी ग्राम सूरजगढ में स्थित है जो रेस्पोडेन्ट को विरासत में प्राप्त हुई है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2022 से 2057 तक तथा नक्शा सीट नई व पुरानी और खसरा मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट है। उन्होने आगे कथन किया है कि उक्त खसरा नम्बर का सीमाज्ञान करवाने बाबत रेस्पोडेन्ट ने तहसीलदार के समक्ष आवेदन किया जिस पर तहसीलदार ने हल्का पटवारी को उक्त खसरा नम्बर का सीमाज्ञान करने का आदेश दिनांक 07.11.2014 को दिया तथा जब पटवारी ने पुरानी व नई नक्शा सीट का अवलोकन किया तो उन दोनो सीटों के नक्शें में काफी अन्तर आया पुरानी सीट का नक्शा सही है तथा नई सीट का नक्शा जब तैयार किया गया था उस समय उसमें त्रुटि रह गई होगी जिससे रेस्पोडेन्ट की आराजी की पूर्व से पश्चिमी सीमा कें काफी अन्तर आ रहा है तथा रेस्पोडेन्ट को लगभग 80 मीटर या 100 मीटर जमीन का सीधा नुकसान नई नक्शा सीट से हो रहा है, जिस कारण से उक्त संशोधन होना आवश्यक होने से रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया

सभागीय आयुक्त
जयपुर

जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात ही अपीलधीन आदेश पारित किये गये है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के संलग्न प्रकरण संख्या 1/2015 की आदेशिका के अवलोकन से जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलाट को बतौर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 संयोजित कर प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें रेस्पोडेन्ट को सम्मन जारी होने के आदेश तो हुए है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट को जारी सम्मन की सम्यक रूप तामिल होने सम्बन्धी कोई नोटिस पत्रावली पर उपलब्ध नही है तथा पत्थरगढी बाबत अपीलान्ट की किसी प्रकार की कोई सहमति भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नही है, इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 151/2015 में अपीलान्ट को पक्षकार ही नही बनाया गया है जिससे अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखने से वंचित रहा है जो कि न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.07.2015 एवं 03.08.2015 न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विरूद्ध होने से उन्हे उचित नही ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की दोनों अपीलें स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ जिला झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.07.2015 एवं 03.08.2015 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुऐ प्रकरण मे पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 14.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।